उज्जीवन फाइनेंस का आईपीओ 28 अप्रैल को खुलेगा

उज्जीवन फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (यूएफएस या कंपनी) एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – माइक्रो फाइनेंस संस्थान (नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी – माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी–एमएफआई) – है जिसने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी) के तौर पर 2005 में परिचालन शुरू किया था। 31 दिसंबर, 2015 तक यूएफएस ने 40 शाखाओं और ,862 कर्मचारियों के नेटवर्क के माध्यम से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2. लाख सक्रीय ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान की हैं। आईपीओ 28 अप्रैल, 2016 को खुल रहा है और 02 मई, 2016 को बंद हो रहा है, क 10 प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के क 20 – क 210 प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य बंद के साथ। मुख्य निवेशक के लिए बोली/प्रस्ताव अवधि, बोली/प्रस्ताव अवधि खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व यानि कि 2 अप्रैल, 2016 होगी।

इस आईपीओ में कंपनी द्वारा जारी किये गए कुल क 35,816.1 लाख तक के नए इक्विटी शेयर हैं और एलेवर, एफएमओ, आईएफसी, आईएफआईएफ, एमयूसी, सर्वा कैपिटल, डब्ल्यूसीपी और डब्ल्यूडब्ल्यूबी द्वारा 24,968,332 तक इक्विटी शेयरों के विक्रय का प्रस्ताव है। बीआरएलऐम्स के साथ परामर्श के बाद कंपनी ने कुल क 29,183.9 लाख के नगद अनुमान हेतु 14,236,05 इक्विटी शेयरों का आईपीओ–पूर्व निर्धारण पूरा कर लिया है। जैसा कि दिनांक 31 दिसंबर, 2015 के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दर्शाया गया है नए निर्गम का आकार, जो क 65,000 लाख है, आवश्यकतानुसार घटाया गया है।

यह प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें प्रस्ताव का 50त्न योग्य संस्थागत खरीदारों (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स) (क्यूआईबी भाग) के लिए एक आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। कंपनी और बेचनेवाले शेयरधारक, बीआरएलऐम्स के परामर्श से, क्यूआईबी हिस्से का 60त्न भाग एक विवेकाधीन आधार पर (एंकर निवेशक भाग) मुख्य निवेशकों को मुख्य निवेशक आवंटन मूल्य पर आवंटित कर सकती है। मुख्य निवेशक हिस्से का कम से कम एक तिहाई भाग मुख्य निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे अधिक पर घरेलू म्यूचुअल फंड्स से प्राप्त वैध बोली के अधीन घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए पर आरक्षित किया जाएगा। मुख्य निवेशक हिस्से के कम अंशदान होने, या आवंटित ना होने की हालत में, बचे हुए इक्विटी शेयर क्यूआईबी के हिस्से में मिला दिए जायेंगे। नेट क्यूआईबी हिस्से का केवल 5त्न एक आनुपातिक आधार पर म्यूचुअल फंड के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का बचा हुआ भाग एक आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (मुख्य निवेशकों को छोड़कर) को आवंटित करने हेतु होगा, म्यूच्यूअल फंड्स के साथ, प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हुई वैध बोलीयों के अधीन।

इसके बाद, प्रस्ताव का कम से कम 15त्न आनुपातिक आधार पर गैर–संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और प्रस्ताव का कम से कम 35त्न सेबी आईसीडीआर नियमों के अनुसार, प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त बोलियों के अधीन खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। सभी संभावित बोलीदाता (मुख्य निवेशकों को छोड़कर) प्लिकेशन्स सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) प्रक्रिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्ताव में भाग लेंगे।